"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268] रायपुर, मंगलवार दिनांक 4 दिसम्बर 2001—अग्रहायण 13, शक 1923

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्वर 2001

क्रमांक 10/4/वि. स./उप. चु./2001/1114.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 429/छ.ग./2001 (1), दिनांक 8 नवम्बर 2001 की संशोधित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

एस. के. गर्ग,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख 8 नवम्बर, 2001, 17 कार्तिक, 1923 (शक)

अधिसूचना

सं. 429/छ.ग./2001 (1).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 23 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं. 429/छ.ग./2001(1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में :—

1. स्तम्भ 1 में मद सं. 35-पामगढ़ के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "तहसीलदार पामगढ़" प्रविष्टि, एवं

2. स्तम्भ 1 में मद सं. 38-मालखरौदा (अ. जा.) के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "तहसीलदार मालखरौदा" प्रविष्टि,

प्रतिस्थापित की जाएगी.

आदेश से,
सही/-
(एल. एच. फारुकी)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated 8th November, 2001, 17 Kartika, 1923 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429/CG/2001 (1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13C of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 429/CG/2001 (1), dated the 23rd January, 2001, namely :—

In column 2 of the Table appended to the said notification :—

1. for the existing entry against item No. 35-Pamgarh in column No. 1, the entry "Tahsildar Pamgarh", and

2. for the existing entry against item No. 38-Malkharoda (SC) in column No. 1, the entry "Tahsildar Malkharoda"

shall be substituted.

By order,
Sd/-
(L. H. FARUQI)
Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2001 अग्रहायण 15 शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ /10-332/2001/वाक/पांच (74)—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1682/एफ—10-332/2001/वाक/पांच (38) में शब्द "अन्य प्रकार के दूरसंचार केबल्स" के पश्चात् शब्द तथा एच.डी.पी.ई./पी.व्ही.सी. डेीकाम डक्स् को जोड़ा जाये .

यह अधिसूचना 10-08-2001 से प्रभावशील मानी जावेगी .

Raipur, the 6th December 2001

NOTIFICATION

No. F/10-332/2001/CT/V/(74)—In this department notification No. 1682/F-10/332/2001/CT/V(38) dated 10-08-2001 after the words "Cables of other types" the words" and HDPE/PVC ducts" shall be added.

This notification shall be deemed to be effective with effect from 10-08-2001.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2001.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268-ब] रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2001—अग्रहायण 19, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 6700/21-अ/प्रा./2001/छ.ग.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000 है.

(2) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्य प्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 तथा उसके अधीन बनाए गए समस्त नियम.
2.	मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996.
3.	मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1997.
4.	लोक अदालत स्कीम.
5.	स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत आयोजित करने के लिए लोक अदालत स्कीम, 1997 के अधीन जारी अनुदेश.
6.	विधिक साक्षरता शिविर स्कीम, 1999.
7.	मध्यप्रदेश के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976.
8.	मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983.
9.	मध्यप्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1987.
10.	मध्यप्रदेश विधि विभाग नियमावली.
11.	मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1983.
12.	राज्य विधिक सेवा नियम, 1994.
13.	वे समस्त केन्द्रीय अधिनियम जिनका मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा संशोधित अधिनियमों द्वारा अनुकूलन कर लिया गया है.
14.	मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1955.
15.	मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994.
16.	मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994.

Raipur, the 27th December 2001

NOTIFICATION

No.6700/21-A/P./2001/CG.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (1) This Order may be called the Adaptation of Laws Order, 2000.

   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the First day of November, 2000.

2. The Laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this Order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediatly before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be inforce in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modifications that in all the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Laws (2)
1.	Madhya Pradesh Civil Court Adhiniyam, 1958.
2.	Madhya Pradesh Legal Services Authority Ruls, 1996.
3.	Madhya Pradesh Legal Services Authority Regulation, 1997.
4.	Lok Adalat Scheme.
5.	Instructions to organise Permanent and Continuous Adalat Scheme, 1997.
6.	Legal Literacy Camp Scheme, 1999.
7.	Madhya Pradesh Ke Kamjor Vergon Ke Liye Vidhik Sahayata Tatha Vidhik Salah Adhiniyam, 1976.
8.	Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983.
9.	Madhya Pradesh Vidhik Seva Pradhikaran Niyam, 1987.
10.	Madhya Pradesh Vidhi Vibhag Niyamavali.
11.	Madhya Pradesh Vidhi Aur Vidhai Karya Vibhag Seva (Bharti Tatha Seva Sharten) Niyam, 1983.
12.	Rajya Vidhik Seva Niyam, 1994.
13.	All Central Act which are adapted by an amendment Act passed by Madhya Pradesh by Madhya Pradesh Legislative Assembly.
14.	The Madhya Pradesh Judicial Service (Classification, Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1955.

(1)	(2)
15.	The Madhya Pradesh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994.
16.	The Madhya Pradesh Uchhachtar Nyayik (Seva Bharti Tatha Seva Sharten) Niyam. 1994.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.